


# एड्स के नाम पर ग्रामीण महिलाओं से छल

पर्व १०

प्रसंग

प्रमोद भार्गव



**E**हस की दवा बनाने वाली कम्पनियां अब एड्स के नये मरीजों तलाश में गैर सरकारी संगठनों के जरिये ग्रामीण महिलाओं में 'एड्स के विषाणु' खोजने में लग गयी हैं जिससे इस जानलेवा रोग के बहाने करोड़ों रुपये की दवाओं की खपत सरकारी महकों में की जा सके। ताजा अध्ययनों में हरियाणा में 1,219 ग्रामीण महिलाएं एड्स से पीड़ित बतायी गयी हैं। ये आंकड़े एड्स कंट्रोल सोसायटी ने आगाह किया है कि ये आंकड़े केवल शहरी और कस्बाई अस्पतालों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से इकट्ठे किये गये हैं। यदि सुदूर ग्रामों में सर्वे किया जाय तो आंकड़े भयावह हो सकते हैं। हरानी की बात है कि ये सभी महिलाएं गरीब होने के साथ गंदी बसियों से जुड़ी हैं। सर्वे में एच.आई.वी. पॉजिटिव से जुड़ी हाईप्रेफाइल की एक भी महिला एड्स पीड़ित नहीं दर्शायी गयी है। इससे जाहिर होता है कि ये आंकड़े एकपक्षीय होने के साथ केवल दवा कारोबारियों को साथ पहुंचाने की दृष्टि से उठाने गये हैं। आंग्रे प्रदेश सरकार तो एड्स रोगियों के लिए पेशन तक दिये जाने का अदूरदर्शी फैसला लेने की सोच रही है। इधर लखनऊ के एक आयुर्वेदिक चिकित्सक ने एड्स की ऐसी अचूक दवा बना लेने का दावा किया है जिसे एड्स उपचार की गारंटी माना जा रहा है। ऐसे में एड्स को हीचा बाकर सर्वेक्षणों के द्वारा इसके नये रोगी क्षमों तलाशे जा रहे हैं?

हमारे देश में एड्स फैलने की जिस तरह से भयावह तस्वीर पेश की जा रही है, वह बहुराष्ट्रीय दवा कम्पनियों का सुनियोजित प्रवर्णन व देश के अप, गरीब व लालाकारारियों से किया जा रहा छल है। और हम हैं कि इसे हद तक स्वीकारते चले जा रहे हैं कि हाल ही में आंग्रे-प्रदेश सरकार ने एड्स के मुफ्त इलाज की सुविधा लेने वाले रोगियों को पेशन देने तक का अदूरदर्शी फैसला ले लिया है। एड्स रोगियों को पेशन देने की शुरुआत के साथ ही उत्तरीतर पूरे

देश में एड्स मरीजों की संख्या में आश्चर्यजनक ढंग से इजाफा शुरू हो जाएगा। क्योंकि एड्स का खतरनाक हौना खड़ा करने वाली जो डेसो-निदेशी आर्थिक अनुदान प्राप्त समाज सेवी संस्थाएं हैं, वे एड्स दवा निर्माण कम्पनियों की कठपुतली हैं। उनकी रोजी-रोटी, स्वावलम्बन और आनन्दमित्रता इहीं कम्पनियों की अनुकम्मा और अनुदान पर टिकी है। निकम्मे व निकल्ले चरित्र के, लोग भी पेशन के लालच में खुद को एड्स रोगी घोषित कराने से गुरेज नहीं करते। चूंकि एड्स रोगी की पहचान गुत रखने की शर्त भी जुड़ी है इसलिए सामाजिक लांघन, प्रताङ्गन व बहिष्कार से भी ये लोग बचे रहेंगे। सरकारी क्षेत्र में हमारे देश में ग्राम्याचार का बोलवाला है, इसलिए रिश्वत लेने के चिकित्सकों को इच्छुक व्यक्ति को एड्स रोगी घोषित करने में भी कोई पहेज नहीं होगा। अबहत तो यह जरूरी नहीं है कि एचआईवी पॉजिटिव प्रत्येक व्यक्ति एड्स का मरीज हो? एड्स व टीवी

की दवाएं लेकर वह लालवे समय तक एकदम स्वस्थ रह सकता है। लेकिन बहुराष्ट्रीय दवा कम्पनियां गैर सरकारी समाजसेवी संगठनों के माध्यम से एड्स का इतना खतरनाक हौना खड़ा करती हैं कि दवा कम्पनियों को अपने व्यावसायिक हित साथने में असानी हो जाती है। ऐसे ही हल्लों के तरीजतन आंग्रे प्रदेश सरकार एड्स रोगियों को पेशन सुविधा देने के लिए मजबूर हुई और कालांतर में इसका विस्तार अन्य राज्यों में भी हाना निश्चित है। क्योंकि अब तक ये दवा कम्पनियां सूचीबद्ध एड्स रोगियों को पकड़कर उसे अपनी दवा खपाती थीं और अब महामारी का तांडव रथ सीधे राज्य सरकारों को दवाएं खपाएंगी।

दरअसल एचआईवी ग्रस्ट रोगी को ही जानलेवा एड्स का रोगी मान लिया जाता है और उसे चिकित्सक एंटी रिट्रोवाइरल थेरेपी लेने की सलाह देते हैं। इन दवाओं की पहुंची खराक की कीमत आठ हजारों के लागतम होती है जो अस्पतालों अथवा एड्स नियंत्रण केन्द्रों से मुफ्त में मिलती है। इन दवाओं के नियमित सेवन से मूल रोग तो बेअसर रहता है लेकिन रोगी की प्रतिरोधात्मक क्षमता का बेतहाशा हास हो जाता है। परिणामस्वरूप दूसरे और तीसरे चरण की खुराकें निश्चित रूप से लेने की सलाह चिकित्सक देते हैं। इन दोनों चरणों की दवाएं रोगी को मुफ्त में देने का प्रावधान अब तक नहीं है लिहाजा मजबूरीश बेहद महंगी इन दवाओं को रोगियों को खरीदना होता है। और दवा कम्पनियों को बल्लेबल्ले हो जाती है करोड़ों-अरबों की दवाएं सलालत से खप जाती हैं। हालांकि लखनऊ के आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ. संतोष पाण्डेय ने 22 हबल पौधों के मिश्रण से तैयार सीरेप और एक कैप्सूल के मार्फत 19 महीने में एड्स को जड़ से ठीक करने का दवा किया है। मई 2010 में इन्हें एड्स दवा का 240422 क्रमांक से पेटेन्ट भी मिल गया है। यह पेटेन्ट उन्हें करीब 11 साल के लंबे संधर्श के बाद मिला।

(1 दिसम्बर, विश्व एड्स दिवस के परिप्रेक्ष्य में)

Misc.